न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

अपील संख्या 51/2022

बिरबल पुत्र हरिसिंह, जाति जाट, आयु 62 वर्ष, निवासी खुशालपुरा तन भालोठ, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।

—अपीलान्ट—

बनाम

1. उम्मेद सिंह पुत्र हरिसिंह दत्तक पुत्र चन्द्रो उर्फ चन्द्रावती पत्नि श्रीचन्द, आयु 57 वर्ष, जाति जाट, निवासी खुशालपुरा तहसील बुहाना हाल आबाद बास तहसील सतनाली, जिला महेन्द्रगढ, हरियाणा।
2. चन्द्रावली उर्फ चन्द्रो पुत्री हरिसिंह, आयु 80 वर्ष, जाति जाट, निवासी खुशालपुरा तहसील बुहाना हाल आबाद बास तहसील सतनाली, जिला महेन्द्रगढ, हरियाणा।
3. दयाकौर पुत्री हरिसिंह पत्नि वीरसिंह, आयु 45 वर्ष, जाति जाट, निवासी खुशालपुरा तहसील बुहाना हाल आबाद ग्राम लिखमपुर पंचायत वटिण तहसील मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।
4. रोशनी पुत्री हरिसिंह पत्नि हवासिंह उम्र 40 वर्ष, जाति जाट, निवासी खुशालपुरा तहसील बुहाना हाल आबाद ग्राम लिखमपुर पंचायत वटिण तहसील मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।
5. पटवारी हलका, भालोठ, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
6. 5.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।

—रेस्पोडेन्ट—

अपील विरूद्ध इन्तकाल नम्बर 326 दिनांक 31.12.2021।

उपस्थितिः—

1. श्री रविन्द्र सिंह, एडवोकेट.....अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री राजेश बागोरिया, एडवोकेट.....रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से।
3. श्री श्रवण सैनी, राजकीय अधिवक्ता.....रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 की ओर से।

–निर्णय– दिनांक : 11.6.2025

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलांट/प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना में एक दावा बउनवानी बिरबल बनाम उम्मेद सिंह वगैरह बाबत घोषणात्मक खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा वाद संख्या 64/2020 मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बउनवानी बिरबल बनाम उम्मेद सिह वगैरह मुकदमा नम्बर 42/2020 पेश कर रखे है जिसमें प्रार्थी ने यह दर्ज किया है कि प्रार्थी वगैरह तीन भाई थे जिसमें एक स्वयं प्रार्थी एवं दुसरा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा तीसरा उदमीराम था। उक्त तीसरे भाई उदमीराम अक्सर बीमार रहता था तथा अविवाहित था। उसके कोई संतान नही थी। उदमीराम के पूरे जीवन भर सेवा प्रार्थी एवं उसकी पत्नि ने ही की तथा प्रार्थी शुरू से ही उदमीराम के हिस्से की भूमि पर काश्त करता आया है तथा अब भी प्रार्थी ही उदमीराम की भूमि पर काबिज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जब नाबालिग था तभी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व उसके पति हरिसिंह ने बिरादरी व समाज की रस्मों रिवाज से भाई बन्धुओं, रिस्तेदारों एवं ग्राम खुशालपुरा के ग्रामवासियों के सामने गोद लेने की प्रथा से गोद चला गया था। गोद के समय मंगल गीत गये थे तथा गुड़ बांटा गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गोद जाने के बाद कभी भी ग्राम खुशालपुरा नही रहा है गोद के समय ही यह तय हो गया था कि ग्राम बास तहसील सतनाली स्थित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की होगी तथा खुशालपुरा स्थित भूमि प्रार्थी व उसके भाई उदमीराम की रहेगी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के उक्त माता पिता की ग्राम बास तहसील सतनाली स्थित कृषि भूमि की खातेदारी सम्वत् 2016–2017 में दर्ज हो चुकी है। ग्राम खुशालपुरा पटवार हलका भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के खसरा नम्बर 4 रकबा 3.2400 हैक्टर में प्रार्थी 1/3 हिस्से पर काबिज काश्तकार खातेदार है। उक्त भूमि प्रार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके भाई उदमीराम के पिता हरिसिंह के जीवनकाल में प्रार्थी की कमाई से खरीद की थी। उस समय परिवार में कमाने वाला केवल मात्र प्रार्थी ही था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 उस समय नाबालिग थे। विक्रय पत्र तस्दीक कराते समय प्रार्थी मजदूरी करने हेतु बाहर गया हुआ था। प्रार्थी अपने पिता के साथ संयुक्त परिवार में रहता था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के गोद चले जाने के बाद ग्राम खुशालपुरा की उक्त वर्णित भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई हक अधिकार नही रहा। उक्त भूमि पर प्रार्थी का एडर्वस पजेशन है। उदमीराम की दिनांक 07.10.2019 को मृत्यु होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मन में बेईमानी आ गई तथा राजस्व रिकार्ड में 1/6 हिस्सा दर्ज होने का नाजायज लाभ लेना चाहता है। इसीलिए प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना के समक्ष

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध एक दावा मुकदमा नम्बर 64/2020 तथा अस्थाई निषेधाज्ञा 42/2020 पेश किया जो विचाराधीन है। उदमीराम की मृत्यु होने के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के मन में बेईमानी आने के कारण उन्होनें उदमीराम के हिस्से की भूमि का दिनांक 31.12.2021 को इंतकाल संख्या 326 प्रार्थी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के दर्ज करवा लिया जबकि उदमीराम की खातेदारी में दर्ज भूमि सदैव से प्रार्थी ही काश्त करता आया है। प्रकरण में विवादित भूमि की मौखिक वसियत प्रार्थी के हक में हो गया था। लेकिन उक्त नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा विधि विरूद्ध भरा जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 6 द्वारा तस्दीक किया गया है। उक्त इन्तकाल मजमें आम में पक्षकारान को नोटिस देकर सुनवाई का गवाहन व मौतबिरान की उपस्थिति में कब्जा होने पर भरा जाकर तस्दीक किया जाता है। लेकिन उक्त इंतकाल के संबंध में इन कानूनी व तथ्यात्मक कार्यवाहियों की पालना नही की गई है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 326 दिनांक 31.12.2021 निरस्त किया जावे।

अपील न्यायालय में प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट को नोटिस भेजकर तामील की गई। मिसल मातहत तलब की जाकर बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण में विवादित इंजकाल तस्दीक करते समय अपीलान्ट को कोई नोटिस/सूचना नही दी गई। प्रकरण के संबंध में एक दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना में पहले से विचाराधीन होने के बावजूद उक्त इंतकाल तस्दीक किया गया है। उदमीराम के कोई संतान नही थी वह ना औलाद फौत हो चुका है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गोद गया हुआ है तथा जिन माता पिता के गोद गया है उनके हिस्से की खातेदारी भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2016–2017 में दर्ज हो चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 326 दिनांक 31.12.2021 निरस्त किया जावे।

दौराने बहस अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने कथन किया कि अपील मियाद बाहर हो चुकी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में कोई लिखित गोदनामा नही है। अदालत मातहत ने नियमानुसार विधि सम्मत इंतकाल स्वीकृत किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विवादित

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

भूमि उदमीराम के हक हिस्से की भूमि रही है। उदमीराम बेऔलाद फौत हो चुका है। जिससे उसके हक हिस्से की भूमि में विरासतन अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 हिस्सेदार होते है। अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के गोद जाने का कथन किया है लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज न तो अदालत मातहत के समक्ष तथा न ही अदालत मातहत के समक्ष के प्रस्तुत किया है जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के गोद जाना साबित होता हो। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 भी उदमीराम के विधिक वारिस साबित है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण को धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित नामान्तकरण/इंतकाल संख्या 326 दिनांक 31.12.2021 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय मिसल अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार बुहाना को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.6.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार आर्य),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनूं।